न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अशुंल सिंह R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2019/196 दायर दिनांक 07.08.2019

वादी		प्रतिवादी
1. लहरीराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी दुदोली तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री नागपालसिंह अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादीगण सं0 01, उपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांक 03.12.2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 751/255 रकबा 20 बीघा 00 बिस्वा कुल खसरान 02 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा वाके शरहद दुदोली है।इन खसरानो की खातेदारी में लोंडुराम पुत्र किस्तुराराम से संयुक्त खातेदारी में वादी का नाम गलत दर्ज है।नकुलात खतौनी दावा के साथ में प्रस्तुत है।

उपरोक्त वाद के पद संख्या एक में वर्णित कुल खसरा नम्बरान की भूमि वादी उसके कुटुम्बिक सदस्यो की पैत्रिक कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जो कि पहले वादी के पुर्वजो के नाम से खातेदारी में अंकित रही , पुर्वजो के फौत होने पर उनके जायज उतराधिकारी व वारिशान के नाम जरिये फौतगी नामान्तरण के खातेदारी में अंकित हुई है।

वादी का वास्तवीक नाम लहरीराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी दुदोली है यही नाम वादी के परिवारिक राशनकार्ड में अंकित है यही नाम वादी के परिवारिक आधारकार्ड में अंकित है।इन सभी दस्तावेजो की फोटो–प्रतिया दावा के साथ में प्रस्तुत है।

उपरोक्त वाद के पद संख्या एक में वर्णित कुल खसरा नम्बरान की खातेदारी में वादी का नाम लहरीराम पुत्र किस्तुराराम के बजाय लोंडुराम पुत्र किस्तुराराम अंकित किया हुआ है।जिसकी जानकारी वादी को नकल खतौनी लेने से दिनाकं 02.08.2019 को हुई।

लोंडुराम पुत्र किस्तुराराम नाम खातेदारी में कतई गलत अंकित हुआ है। इस नाम का कोई व्यक्ति न तो पहले ग्राम दुदोली में था और न वर्तमान में है।यह नाम वादी के नाम के बजाय कतई गलत अंकित हुआ है। इससे वादी के जायज अधिकार खतरे में पड गये है।वादी गलत अंकित नाम का दुरूस्त करवा कर अपना सही नाम खातेदारी में अंकित कराने का कानूनी तोर पर हकदार है।

प्रार्थना वादी है कि

खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 751/255 रकबा 20 बीघा 00 बिस्वा कुल खसरान 02 रकबा 35 बीघा 10

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

बिस्वा वाके शरहद दुदोली की खातेदारी में वादी का नाम जो लोंडुराम पुत्र किस्तुराराम गलत दर्ज है कि दुरूस्ती करवा कर इसके स्थान पर वादी का नाम खातेदारी में लहरीराम पुत्र किस्तुराराम अकित करवाये जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 02.12.2019 को प्रतिवादी संख्या 01 की और से तथ्यात्मक रिर्पोट पेश हुई।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन करने पर पाया कि वादी के दस्तावेज पैन कार्ड राशन कार्ड आधार कार्ड प्रतिवादी एक की तथ्यात्मक रिर्पोट है जिनमें लहरीराम पुत्र किस्तुराराम नाम दर्ज है मगर खतौनी में लोंडुराम पुत्र किस्तुराराम दर्ज है।इसलिए वादी अपना नाम खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 751/255 रकबा 20 बीघा 00 बिस्वा कुल खसरान 02 रकबा 35बीघा 10 बिस्वा वाके शरहद दुदोली की खातेदारी में लोंडुराम पुत्र किस्तुराराम के स्थान पर लहरीराम पुत्र किस्तुराराम घोषणा करवाने का अधिकारी है।अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 751/255 रकबा 20 बीघा 00 बिस्वा कुल खसरान 02 रकबा 35बीघा 10 बिस्वा वाके शरहद दुदोली की खातेदारी में वादी का नाम लोंडुराम पुत्र किस्तुराराम के स्थान पर लहरीराम पुत्र किस्तुराराम घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(श्री अशुंल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **03.12.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्री अशुंल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अशुंलसिंह , R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2019/196 दायरा दिनांक 07.08.2019

वादी	बनाम्	प्रतिवादी
1. लहरीराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी दुदोली तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

दिनांक 03.12.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री नागपालसिंह वादी उपस्थित व प्रतिवादी सं0 01 उपस्थित। मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 751/255 रकबा 20 बीघा 00 बिस्वा कुल खसरान 02 रकबा 35बीघा 10 बिस्वा वाके शरहद दुदोली की खातेदारी में वादी का नाम लोंडुराम पुत्र किस्तुराराम के स्थान पर लहरीराम पुत्र किस्तुराराम घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.. ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 03.12..2019 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बावत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—196—2019 / रीडर / 2019 / 708 दिनांक 10/12/19

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा— 136 R.T.Act.

वादी	बनाम्	प्रतिवादी
1. लहरीराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी दुदोली तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2019.12.25 15:25:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: